पता, आदि जाली नोट के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए फार्म -सतर्कता कक्ष (एफएनवीसी) से आरबीआई (प्रत्येक वर्ष पर 1 जुलाई को ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

बैंक का नाम	एफएनवीसी का पता (पिनकोड सहित)	प्रभारी अधिकारी का नाम और पता	कोड सहित टेलीफोन संख्या	कोड सहित फैक्स संख्या	एफएनवीसी का इ-मेल पता

उपरोक्त प्रस्तुत ब्योरे में किसी भी परिवर्तन को तत्काल सूचित करने केलिए हमने नोट कर लिया है ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम पदनाम

दिनांक :

नोट: पूर्ण भरे हुए फार्मेट को एम एस एक्सेल में ई<u>-मेल</u> द्वारा परेषित किया जाये।

(हार्ड कापी भेजने की आवश्यकता नहीं है)